न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
09 / 2022 प्रा.पत्र / 2022	16.03.2022	24.07.2025

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री बाबूलाल गोयल पुत्र श्री फूलचन्द गोयल एफ.बी.ओ. मैसर्स शंकर नमकीन एण्ड जनरल स्टोर देवली रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक राज. निवासी प्लॉट नं. 19 शिवाजी नगर कम्पू टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड—304001

2—श्री रामावतार शर्मा पुत्र जगदीश नारायण शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 4, केशव विद्यापीठ के पास, आगरा रोड जामडोली जयपुर राज.। निवासी 16, राज विहार आगरा रोड जामडोली जयपुर राज0। पिनकोड—302031

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(v) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी सं. 1 श्री बाबूलाल गोयल स्वयं
व निर्माता फर्म प्रतिनिधि श्री मोतीलाल शर्मा उप.।

:—निर्णय—: दिनांक 24/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.12.2021 को समय 02:11 पी.एम. पर मैसर्स शंकर नमकीन एण्ड जनरल स्टोर देवली रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री बाबूलाल गोयल पुत्र श्री फूलचन्द गोयल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स शंकर नमकीन एण्ड जनरल स्टोर देवली रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री बाबूलाल गोयल पुत्र श्री फूलचन्द गोयल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बाबूलाल गोयल पुत्र श्री फूलचन्द गोयल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री बाबूलाल गोयल की उपस्थिति में प्रतिष्ठान निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में रसगुल्ला, सोनपपड़ी, मिठाई, नमकीन आदि व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ साथ **नमकीन मूंग दाल श्री अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Moong Dal Shri Anjani Brand)** के 400—400 ग्राम के लगभग 12 नग पॉली पैक आम जनता के विक्रय हेतु रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री बाबूलाल गोयल पुत्र श्री फूलचन्द गोयल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री बाबूलाल गोयल पुत्र श्री फूलचन्द गोयल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नमकीन मूंग दाल श्री अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Moong Dal Shri Anjani Brand)** दुकान की रैंक में 400–400 ग्राम के 12 नग पॉली पैक में से 4 पैंक जिसके बैंच नं0 0092 एवं पैंकिंग की दिनांक सितम्बर–2021 थी, को त्यों का त्यों 400–400 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 1600 ग्राम नमकीन वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमकीन मूंग दाल श्री अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Moong Dal Shri Anjani Brand)** 400–400 ग्राम पैक के 4 नग मूल पैक में से ज्यों का त्यों 1–1 पैक के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2961 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2961 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री बाबूलाल गोयल पुत्र श्री फूलचन्द गोयल मैसर्स शंकर नमकीन एण्ड जनरल स्टोर देवली रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक बतौर वारन्टी मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 4, केशव विद्यापीठ के पास, आगरा रोड जामडोली जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3293 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस./1608/एक्ट/2021/228 दिनांक 08.11.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **नमकीन मूंग दाल श्री अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Moong Dal Shri Anjani Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 स्वयं तथा अप्रार्थी सं. 2 के प्रतिनिधि श्री मोतीलाल शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन मूंग दाल श्री अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Moong Dal Shri Anjani Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन मूंग दाल श्री अंजनी ब्राण्ड (Namkeen Moong Dal Shri Anjani Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है अतः अप्रार्थी सं. 1 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 2 पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक